

मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल- 462004

क्रमांक 171 / 1857412/2024/26-1 (पार्ट-2) भोपाल दिनांक 07/02/2025  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिला कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय :- दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार में उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता के संबंध में।

संदर्भ :- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-8-5/2004/आप्र/एक दिनांक 31.03.2005

-----  
उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार- सीधी भर्ती से नियुक्ति में दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार में उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता इस श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवारों को जब नियुक्ति हेतु साक्षात्कार या लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाये तो उन्हें निर्धारित किराये अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाये। इस पर जो खर्च हो उसे आकस्मिक व्यय माना जायेगा। जहां तक संभव हो, यात्रा भत्ता की रकम का परीक्षा या साक्षात्कार समाप्त होने के बाद ही भुगतान कर दिया जाये।”

कृपया उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जावे।

  
(अंकिता धाकरे)

उप सचिव,

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन  
सशक्तिकरण विभाग